भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
07.11.19	विविध वाद सं0–04 (S.T.) / 2019–20 / CNT–46	

कार्तिक सबर, पिता–स्व0 पलटन सबर ....आवेदक

--------बनाम--------

बोसेन हाँसदा, पिता–स्व0 रामो हाँसदा .... क्रेता

आदेश

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदक (विक्रेता) कार्तिक सबर, पिता–स्व0 पलटन सबर, ग्राम–बादिया, थाना–मुसाबनी, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जाति–''खड़िया'' (अ0ज0जा0) द्वारा निन्नलिखित विवरण की भूमि को क्रेता बोसेन हाँसदा, पिता–स्व0 रामो हाँसदा, ग्राम–बादिया, थाना–मुसाबनी, अंचल–मुसाबनी, जिला–पूर्वी सिहभूम, जमशेदपुर, जाति–''संथाल'' (अ0ज0जा0) को बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दिया गया हैः–

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
मुसाबनी	बादिया	166	795	1267	0.05 ए0

संबंधित अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। सर्व साधारण सूचना दिनांक–04 / 06 / 2018 के द्वारा आपत्ति की मांग की गई। इस अनुमति आवेदन के विरूद्व किसी को कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 16 / 06 / 2018 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं।

अंचल अधिकारी, मुसाबनी के पत्रांक–122, दिनांकः–02 / 03 / 2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं नोटिस का तामिला प्राप्त हैं। उक्त वर्णित भूमि का अन्तरण पर किसी के द्वारा अपत्ति नही दी गई हैं। जांच प्रतिवेदन एवं प्राप्त दस्तावेज के अनुसार वर्णित भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में आवेदक के पितामह सामु खड़िया, पिता–लोबीन खड़िया, जाति–खड़िया के नाम पर किस्म जमीन गोड़ा तीन दर्ज है। आवेदक उपस्थित होकर बताया कि भूमि पर किसी भी प्रकार का न्यायालय में वाद नहीं चल रहा हैं। आवेदित भूमि आवेदक के पितामह सामु खड़िया के नाम पर पंजी–II में दर्ज है तथा लगान भी उन्ही के नाम से कट रहा है। ग्राम प्रधान बादिया का आवेदित भूमि से संबंधित वंशावली प्राप्त हैं। आवेदित भूमि बिक्री के बाद उनके पास लगभग 5 (पाँच) बीघा से अधिक भूमि अवशेष बचता है। इसके संबंध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र संख्या–11, दिनांक–03 / 06 / 2019 दाखिल किया गया है।

आवेदित भूमि बेचने के पश्चात आवेदक के जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता हैं। आवेदक (विक्रेता) एवं क्रेता दोनो एक ही थाना क्षेत्र के हैं तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। इसके संबंध में विक्रेता की ओर से अंचल अधिकारी

07/11/19

का कार्यालय, मुसाबनी द्वारा निर्गत ऑन लाईन जाति प्रमाण पत्र संख्या– JHCC/2019/592524, दिनांक–28/08/2019 एवं क्रेता की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–2304, दिनांक–18/04/2000, तथा अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–68, दिनांक–07/08/2002 तथा आधार कार्ड आदि की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

आवेदक 0.05 एकड़ भूमि को ऋण की वसूली अदायगी की प्रतिपूर्ति एवं अन्य घरेलु खर्च हेतु आवेदित भूमि कुल–1,40,000.00/–(एक लाख चालीस हजार) रूपये में बेचना चाहते है। मूल्य तालिका के अनुसार मौजा–बादिया का आवासीय भूमि का सरकारी मूल्य प्रति डीसमल 26,620.00 रूपये निर्धारित है। इस प्रकार भूमि का कुल रकवा 0.05 डीसमल का विक्रय दर 1,33,100.00 रूपया होता है। तदनुसार क्रेता द्वारा विक्रेता को सरकारी दर से अधिक राशि में भूमि का बिक्री किया जा रहा है।

अतः प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी मुसाबनी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदित भूमि मौजा–बादिया, थाना नं0–166, खाता नं0–795, प्लॉट नं0–1267, रकवा–0.05 एकड़ भूमि की अन्तरण हेतु आवेदक (बिक्रेता) को इस शर्त के साथ अनुमति दिया जाता हैं कि क्रेता–बिक्रेता बिक्री की जाने वाली भूमि के हक/दखल/कब्जा/कोई विवाद के संबंध में उभय पक्ष स्वंय जिम्मेवार होगें।

लेखापित एवं संशोधित

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
घाटशिला।

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ,
घाटशिला।

C.C. of Final order is issued.